सहमति व्यक्त की है। अतः वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी के वाद की ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

— : आदेश :—

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी जयपाल के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा रातंगा के खसरा नम्बर 282 रकबा 1.1007 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 240/1242 रकबा 2.2581 में से 0.5787 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शनुसार दक्षिण दिशा की तरफ व खसरा नम्बर 38 रकबा 3.0756 में से 2.1044 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार पूर्वी दिशा की तरफ का रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 उमाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा रातंगा के खसरा नम्बर 38 रकबा 3.0756 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 4 क्रमाशः समुन, राहुल व कोमल के सहखातेदारी में मौजा रातंगा के खसरा नम्बर 240/1242 रकबा 2.2581 हैक्टेयर में से 1.6794 हैक्टेयर उत्तर दिशा की तरफ माफिक नजरी नक्शानुसार व खसरा नम्बर 273 रकबा 0.7284 हैक्टेयर पूरा एवं खसरा नम्बर 279 रकबा 1.2383 हैक्टेयर पूरा खेत रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।

माफिक नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का हिस्सा रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11-02-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner